प्र. स. .... /दावा/प्र.पत्र/..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/9/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्जोलेन्स पर है। अतः अगली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 27/10/25 को पेश हो
27/10/25	मुतुलाय उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 31/10/25 को पेश हो।
31/10/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्जोलेन्स पर है। अतः अगली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 11/11/25 को पेश हो
11/11/2025	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी भवंरीबाई पत्नि नाथूसिंह जाति राजपुत निवासी भोपतपुरा ने अप्रार्थी सं0 1 से ख0सं0 761/500 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम भोपतपुरा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 24.5.2005 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से प्रार्थिया वाद वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। किन्तु प्रार्थिया द्वारा वाद वर्णित आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नही कराने से अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वाद वर्णित आराजी का अप्रार्थी सं0 4 के नाम रहन दर्ज करवा दी एवं रहन बय करने पर आमादा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में प्रमाणित होने से वाद प्रस्तुती पर प्रार्थिया के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई । अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थिया का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 3 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने से मियाद बाहर होने से वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थिया का कोई हक अधिकार नही है। बहस उभयपक्ष सूनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थिया ने वाद वर्णित आराजी ख0सं0 761/500 रकबा 15 बिस्वा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.5.2005 को कय कर काबिज कास्त है किन्तु जानकारी के अभाव में वाद वर्णित आराजी का तत्समय नामान्तकरण दर्ज नही करवाया गया। जिससे वाद वर्णित आराजी अप्रार्थी सं. 1 के खाते में दर्ज रेकार्ड होने से अप्रार्थी सं0 अब वाद वर्णित आराजी को बेचान एवं खुर्दबुर्द करने पर आमादा है अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वाद वर्णित आराजी को अप्रार्थी सं0 1 को रहन रख दी गई है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण वाद वर्णित कृषि भूमि में से जबरन प्रार्थिया को बेदखल नही करे वाद वर्णित कृषि भूमि को रहन बेचान भारग्रस्त नही करे उक्त कार्य न तो स्वयं करे ना ही

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

अन्य से करावे। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी का बेचान वर्ष 2005 में हुआ था 3 वर्ष से अधिक गुजर जाने से उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र मियाद बाहर हो जाने से अब रजिस्टर्ड विकय पत्र को कोई औचित्य नहीं रहा है। प्रार्थिया का वाद वर्णित आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं है। अतः प्रा0पत्र प्रार्थिया मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी का जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। सुविधा के सन्तुलन के बिन्दु पर विचार किया जाता है तो चुंकि वाद वर्णित आराजी प्रार्थी द्वारा कय कर काबिज कास्त है तो यदि वाद वर्णित आराजी का अन्यत्र रहन बय होता है तो असुविधा का सामना केता पक्ष को भुगतना होगा जो कि प्रार्थी है अतः सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु भी अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। वाद वर्णित आराजी के सम्बन्ध में अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विचार करने पर यह प्रमाणित है कि वाद वर्णित आराजी प्रार्थिया द्वारा 24.05.2005 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किये जाने एवं काबिज कास्त होने से वाद वर्णित आराजी पर प्रथम दृष्टया हक केता पक्ष का प्रमाणित है प्रार्थिया द्वारा तत्समय नामान्तकरण दर्ज करवाकर उक्त कयशुदा भुमि पर खातेदारी अधिकार दर्ज क्यो नही करवाये गये यह बिन्दु साक्ष्य एवं तथ्यो के आधार पर वाद में निर्धारित होगा किन्तु उससे पूर्व अप्रार्थी सं. 1 यदि वाद वर्णित आराजी पर अपना राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज रेकार्ड होने से भूमि को अन्यत्र रहन बय करता है तो प्रार्थी पक्ष का वाद दायर करने का कोई ओचित्य ही नही रहता एवं रहन बय अथवा हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रथम दृष्टया अपूरणीय क्षति केता पक्ष जो कि प्रार्थी है, को होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी पक्ष में प्रमाणित होता है। अतः वाद वर्णित आराजी बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद वर्णित तथ्यो पर प्रथम दृष्टया , सुविधा के सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विचार करने पर उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है किन्तु एक बिन्दु यह कि प्रार्थी केता पक्ष ने वाद वर्णित आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र 24.5.2005 को कय करने के पश्चात भी विकय पत्र का नामान्तकरण दर्ज क्यो नहीं करवाया गया, विचारणीय बिन्दु है, जो कि मूल वाद में कानूनी बिन्दु होने से साक्ष्य दस्तावेजात् के आधार पर निर्णित होगा। इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर दोनो पक्षो को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी ख0सं0 761/500 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम भोपतपुरा की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। दोनो पक्ष उक्त आराजी ख0सं0 761/500 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम भोपतपुरा की मौका स्थिति, रहन बय अथवा हस्तान्तरण ना तो स्वयं करेंगे ना ही अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।